भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2136

जिसका उत्तर,सोमवार, 8मार्च, 2021/17फाल्गुन, 1942 (शक)को दिया जाना है

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

2136. श्री गोपालचिनैयाशेट्टी:

क्या **वित्त मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की शक्तियों और कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सेबी के निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का सेबी के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक कब तक नियुक्त करने का विचार है;

(घ) सेबी के पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशकोंके नाम क्या हैं; और

(ङ) सेबी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है और सेबी के स्वतंत्र निदेशकों के नाम क्या हैं?

उत्तङर

वित्तच राज्य मंत्री(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की शक्तियां और कार्य (i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अध्याय IV,(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956,(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 24 से प्रवाहित होते हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना;

(ii) प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना;

(iii) स्टॉक एक्सचेंजों तथा किन्हीं अन्य प्रतिभूति बाजारों में व्यवसाय को विनियमित करना;

(iv) स्टॉक ब्रोकरों, उप-ब्रोकरों, शेयर अंतरण एजेंटों , मध्यस्थों, आदि के कार्यों को पंजीकृत और विनियमित करना;

(v) प्रतिभूति बाजार में स्टॉक एक्सचेंजों , म्यूचुअल फंडों, मध्यस्थों और स्व-विनियमित संगठनों की जांच-पड़ताल और लेखापरीक्षा करना;

(vi)प्रतिभूति बाजार और इनसाइडर ट्रेडिंग से संबंधित धोखाधड़ी और कदाचार का निषेध करना और शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण को विनियमित करना तथा कंपनियों को अपने अधिकार में लेना;

(vii) निवेशकों के ज्ञान तथा प्रतिभूति बाजार, आदि, के मध्यस्थों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

(ख) और (ग): इस बोर्ड में एक अध्यक्ष , वित्त एवंकंपनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन से संबंधित कार्य करने वाले केंद्र सरकार के मंत्रालय के पदाधिकारियों से दो सदस्य , भारतीय रिजर्व बैंक से एक

सदस्य और अन्य पांच सदस्य जिनमें तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे। वर्तमान में बोर्ड में एक महिला पूर्णकालिक सदस्य है।

(घ) और (ड़): सेबी बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	**नाम और संगठन**	**सेबी बोर्ड में पदनाम**
1.	श्री अजय त्यागी,सेबी	अध्यक्ष
2.	श्री जी. महालिंगम, सेबी	सेबी अधिनियम की धारा 4(1) (घ) के अंतर्गत नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य
3.	श्री माधबी पुरीबुच, सेबी	सेबी अधिनियम की धारा 4(1) (घ) के अंतर्गत नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य
4.	श्री एस.के. मोहंती, सेबी	सेबी अधिनियम की धारा 4(1) (घ) के अंतर्गत नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य
5.	श्री अनंताबरूआ, सेबी	सेबी अधिनियम की धारा 4(1) (घ) के अंतर्गत नियुक्त पूर्णकालिक सदस्य
6.	श्री तरुण बजाज, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य-सेबी अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत सरकारी नामिती
7.	श्री के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	सदस्य-सेबी अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत सरकारी नामिती
8.	श्री एम. राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)	सदस्य-सेबी अधिनियम की धारा 4(1) (ग) के अंतर्गत आरबीआईनामिती
9.	डॉ. वी. रवि अंशुमन, प्रोफेसर, आईआईएम, बंगलोर	सदस्य (अंशकालिक)- सेबी अधिनियम की धारा 4(1) (घ) के अंतर्गत नियुक्त

*****